छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

—: अधिसूचना :—

रायपुर दिनांक: 20/12/2016

क्रमांक 15573 /एफ—08/89/WBCIS/2016/14—2 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 23.02.2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा—निर्देशों के आलोक में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा **रबी वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 तथा खरीफ वर्ष 2017—18 एवं 2018—19** में प्रदेश में **"मौसम आधारित फसल बीमा योजना"** राज्य के समस्त 27 जिलों में लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है —

1. **अधिसूचित फसलें एवं बीमा इकाई :—**

मौसम	फसल	बीमा इकाई
रबी	टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज	राजस्व निरीक्षक मंडल
खरीफ	टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च, अदरक	राजस्व निरीक्षक मंडल

2. **अधिसूचित क्षेत्र :—**

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिले में योजना क्रियान्वित की जायेगी। जिलेवार, तहसीलवार योजना हेतु अधिसूचित बीमा इकाई (राजस्व निरीक्षक मंडल) की जानकारी **परिशिष्ट—1** में है।

3. **शामिल किये जाने वाले कृषकः—**

इस योजना में ऋणी कृषक (भू—धारक एवं बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू—धारक एवं बटाईदार) भाग ले सकते हैं।

(क) अनिवार्य आधार पर — ऐसे सभी कृषक जिनको रबी/खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित उद्यानिकी फसल के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा मौसमी उद्यानिकी फसल ऋण की सीमा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो। किसी कृषक का एक अधिसूचित फसल के लिए अलग—अलग वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में, उसे केवल एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर — अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। 6

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–**

योजना क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश में उल्लेखित विधि के अनुरूप राज्य के सभी जिलों को 05 क्लस्टर में वर्गीकृतकर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली बीमा कम्पनी (एल–1) को योजना के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया। जिसका क्लस्टरवार विवरण निम्नानुसार है –

क्लस्टर संख्या	क्लस्टर में शामिल जिले	बीमा कंपनी
1	दुर्ग, जांजगीर, नारायणपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
2	बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर, धमतरी, सूरजपुर	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
3	बेमेतरा, कोंडागांव, बालोद, कोरिया, कोरबा, सुकमा	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
4	रायगढ़, कबीरधाम, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
5	रायपुर, बलरामपुर, जशपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, महासमुंद	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

खरीफ एवं रबी मौसम हेतु जिलेवार अधिसूचित फसलें एवं वास्तविक प्रीमियम दर का विवरण परिशिष्ट–2 पर है।

5. **जोखिम, जोखिम अवधि एवं क्षति का आंकलन :–**

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार टर्मशीट में उल्लेखित मौसम जोखिम, जोखिम अवधि, क्षति का आंकलन एवं क्षतिपूर्ति निर्धारण की जानकारी जिलेवार एवं फसलवार **परिशिष्ट–3** पर दी गई है।

6. **स्थानीय आपदा ओलावृष्टि की स्थिति (Add-on/Index Plus Product):–**

आलोवृष्टि जोखिम को निम्नलिखित फसलों के लिये अनिवार्य जोखिम के रूप में सम्मिलित किया गया है। ओलावृष्टि की स्थिति में कृषक इसकी सूचना टोल–फ्री नम्बर पर या लिखित रूप से ई–मेल, व्हाट्स एप एवं पत्र द्वारा 48 घण्टों के भीतर बीमा कंपनी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक बीमा कंपनी फसल की क्षति के आंकलन हेतु क्षति निर्धारक को भेजेगी, तदोपरांत योजना अंतर्गत गठित संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक भी सम्मिलित हो, मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर बीमा कंपनी द्वारा देय दावा भुगतान किया जावेगा। विभिन्न फसलों के लिए ओलावृष्टि हेतु जोखिम अवधि निम्नानुसार होगी –

क्रं.	फसल का नाम	ओलावृष्टि जोखिम चरण अवधि
1.	रबी–टमाटर	20 फरवरी से 20 मार्च
2.	खरीफ–केला	1 जनवरी से 31 मई
3.	खरीफ–पपीता	1 जनवरी से 30 अप्रैल
4.	खरीफ–मिर्च	1 जनवरी से 10 मार्च

7. **बीमित राशिः–**

बीमित राशि, प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमान (Scale of Finance) के बराबर होगी। जिलावार ऋणमान का विवरण **परिशिष्ट–4** में है। ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को **"बीमा प्रीमियम राशि"** अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी।

8. **प्रीमियम की गणना एवं अनुदानः–**

वास्तविक प्रीमियम का अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जायेगा, शेष प्रीमियम राशि 50–50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा देय होगा। क्लस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम विवरण **परिशिष्ट–4** पर है।

9. **योजना अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु समय–सीमा का निर्धारण :–**

क्र.सं.	क्रियाकलाप	समयावधि	
		खरीफ	रबी
1	अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी किसानों के लिए ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीकृत ऋण)	1 अप्रैल से 31 जुलाई	1 अक्टूबर से 31 दिसंबर
2	कृषकों (ऋणी/अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम राशि काटने की अंतिम तिथि	31 जुलाई	31 दिसंबर
3	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक तथा बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी) से ऋणी एवं अऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों के बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी किसानों के लिए 15 दिन के अंदर और गैर ऋणी किसानों के लिए 7 दिन के अंदर	
4	नामित बीमा एजेंटों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर	
5	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारिताओं के लिए) से ऋणी और अऋणी कृषकों के प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर	
6	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा व्यक्तिगत बीमाकृत किसानों के ब्यौरों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना।	किसानों से प्राप्त प्रीमियम अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर	
7	उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आंकड़े के आधार पर दावा भुगतान	जोखिम समाप्त होने के तिथि से 45 दिवस के भीतर	

टीप : उपरोक्त समय–सीमा/प्रकियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में बैंक/बैंकों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर संपूर्ण जवाबदारी बैंक की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी।

10. दावा गणना :–

10.1 कृषकों को दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मौसम केन्द्र से कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम वर्षा, वायु गति, बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि) के आंकड़े प्राप्त होने पर योजना की टर्म शीट के अनुसार किया जावेगा। मौसम जोखिम के आधार पर सभी अधिसूचित फसलों हेतु तैयार टर्मशीट **परिशिष्ट–3** में वर्णित है।

10.2 दावा प्रक्रिया स्वचलित मौसम केन्द्र के आंकड़े के अनुसार मान्य होगी। संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन मौसम केन्द्र से प्राप्त वास्तविक मौसम के आकड़े के आधार पर किया जायेगा तथा दावा राशि का भुगतान बीमित कृषक के खाते में संबंधित बैंक द्वारा कराया जावेगा।

10.3 प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से योजना की शर्तो एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान संबंधित बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। बीमित कृषकों को दावा भुगतान का लाभ निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व भी बीमा कंपनी का होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीमा कंपनियों के खिलाफ मार्गदर्शी में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

10.4 कृषकों को दावा राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़े व सरकार से प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने पर बीमा अवधि समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

10.5 दावा वितरण के पूर्व संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावा पत्रक एवं मौसम से संबंधित आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

11. वित्तीय संस्थाऐं समस्त ऋणी तथा अऋणी कृषकों की सूची जिसमें–कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, मोबाईल नंबर, आधार संख्या, ग्राम, ग्राम पंचायत, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमांत/अन्य महिला/पुरूष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कंपनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी। साथ ही राज्य सरकार एवं कार्यान्वयक अभिकरण सभी जानकारियों एवं आकड़ों को वेब पोर्टल www.agri-insurance.gov.in में इंद्राज करेगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय की जाने वाली बीमित कृषकों की जानकारी हेतु प्रारूप **परिशिष्ट–5** में है।

12. बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्रः–

सभी संबधित सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहवार/फसलवार अधिसूचित क्षेत्रवार बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को प्रदान करेंगे।

13. मौसम केन्द्रों की जानकारीः–

13.1 प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत बीमा कंपनी द्वारा **परिशिष्ट–1** में दिये गये राजस्व निरीक्षक मंडल के चिन्हित ग्राम में भारत–सरकार से अनुमोदित किसी भी कंपनी के माध्यम से अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस में स्वचलित मौसम केन्द्र स्थापित करेगी, जो सतत रूप से

तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुगति आदि की रिकार्डिंग करेंगें। स्थापित AWS का सत्यापन छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं मौसम विज्ञान केन्द्र लालपुर रायपुर के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जावेगा।

साथ ही AWS के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर पर पदस्थ उद्यान विभाग के जिला अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मौसम आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था एवं बीमा कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

13.2 स्वचलित संदर्भ मौसम केन्द्र राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत होंगे तथा राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम मौसम केन्द्र से सम्बद्ध होंगे।

13.3 संबंधित क्षेत्र के स्वचालित मौसम केन्द्र यदि खराब होते है तो उनके समीपस्थ स्थापित स्वचालित मौसम केन्द्र **(जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित है।)** के मौसमी आंकड़े स्वीकार किये जायेंगे।

13.4 चयनित बीमा कंपनी को मौसम के प्रतिदिन के आंकड़े जिला एवं राज्य स्तर के उद्यानिकी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा।

13.5 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 से AWS स्थापित होने के दिनांक तक के मौसम के आंकड़े भारतीय मौसम विभाग द्वारा जिलों में स्थापित AWS/कृषि मौसम वैधशाला से मौसमी आंकड़े प्राप्त कर उद्यानिकी विभाग बीमा कंपनी को उपलब्ध करायेगा। यदि भारतीय मौसम विभाग से मौसम आंकड़े प्राप्त नहीं होते तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित AWS/कृषि मौसम वैधशाला के मौसम आंकड़े प्राप्त किया जावेगा जिसे बीमा कंपनी को मान्य करना होगा। जिन जिलों में AWS/कृषि मौसम वैधशाला स्थापित नहीं है उन जिलों के लिए उनके सम्मुख **परिशिष्ट–6** में उल्लेखित जिलों के मौसम आंकड़े को व्यवहार में लिया जावेगा।

14. बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकलपः–

कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम बदलाव की इच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है किन्तु ऐसे ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि रबी/खरीफ हेतु के 30 दिवस पूर्व तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप में तथा बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो) के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा। यह विकल्प केवल उन्ही कृषकों को होगा जिन्होने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है।

गैर अधिसूचित फसल को यदि अधिसूचित फसल में परिवर्तित करना चाहते है, तो ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दूसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए समय–सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी।

15. **कियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों** (Loss Assessor) **की नियुक्ति :–**

योजना कियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत ओलावृष्टि क्षति जिनका विवरण बिन्दु कमांक 6 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जावेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जावेगी।

16. कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत रबी/खरीफ मौसम समाप्ति के पश्चात प्रदान किया जावेगा।

17. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा–निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व राज्य शासन/क्रियान्वयन बीमा कंपनियों का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।

18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशिका तथा समय–समय पर जारी निर्देश एवं इसमें उल्लेखित अपेक्स संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा।

19. बैंक द्वारा फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित तिथि के अंदर खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक–पृथक काटी जावेगी।

20. टर्मशीट में उल्लेखित रबी वर्ष 2016–17 को रबी वर्ष 2016–17 व 2017–18 तथा खरीफ वर्ष 2017–18 व 2018–19 के लिए भी मान्य किया जावेगा।

21. चयनित बीमा कंपनी द्वारा संबंधित जिले में विकासखण्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर कृषकों के मध्य योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा, इसके लिए विभिन्न प्रचार–प्रसार माध्यम यथा– रेडियो, क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग किया जायेगा।

22. योजना संबंधित अन्य दिशा–निर्देशों के लिये भारत शासन द्वारा जारी मौसम आधारित फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका संचालन पद्धतियों का अनुपालन करेंगे।

23. यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2016 से प्रभावी मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

30/12/16
(के.सी. पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठां. क्र./15574/एफ–08/89/WBCIS/2016/14–2 रायपुर दिनाँक : 20/12/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/सहकारिता/कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. संचालक, संस्थागत वित्त/भू–अभिलेख/कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर।
9. कलेक्टर, जिला–..... छ.ग.।
10. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर।
11. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
12. संचालक, अनुसंधान सेवाए,इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर, छ.ग.।
13. निदेशक, विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
14. विभागाध्यक्ष, कृषि मौसम विज्ञान विभाग, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) रायपुर।
16. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
17. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
18. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
19. महाप्रबंधक, छ.ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर।
20. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
21. व्यवसाय प्रमुख, बजाज अलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी रायपुर,
22. उप संचालक कृषि, जिला– .....(समस्त)।
23. उप/सहायक संचालक उद्यान जिला ..... (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/12/16

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग